दूरभाष : 0121–2665734
फैक्स : 0121–2666062

ईमेल / डाक
CIN : U31200UP2003SGC027458

कार्यालय
Office of the
प्रबन्ध निदेशक
Managing Director
पश्चिमाँचल विद्युत वितरण निगम लि0
Paschimanchal Vidyut Vitran Nigam Ltd.
विक्टोरिया पार्क, मेरठ
Victoria Park, Meerut—250001

सं० 75 /पविविनिलि/मे०/हा०/ई–3 दिनांक 11 APR 2025

कार्यालय ज्ञाप

मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ0प्र0 पाकालि, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या I/8106/2025/E-7/PA-2 दिनांक 05.04.2025 के द्वारा विज्ञापन सं0 04/विसेआ/2014 के अन्तर्गत चयनित एवं तदुपरान्त सेवा से निष्कासित तकनीशियन (विद्युत) के सन्दर्भ मे मा0 सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली मे योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन M.A. (Diary) No. 4407/2023 एवं सम्बद्ध अन्य एप्लीकेशन लि0 के पत्रांक I/7374/2025 दिनांक 27.03.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये निम्नलिखित अर्ह तकनीशियन (विद्युत) कार्मिक को सेवा मे पुनर्बहाल करते हुये पश्चिमांचल निगम आवंटित किया गया है।

अतः कार्मिको का आवंटन एतद्द्वारा उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई मे निम्नानुसार किया जाता है :–

SL No	LKO Sl.No	Roll No/ Regn No	Name/ Father Name/ Date of Birth/ Home District	Alloted Division/Unit
1	2	3	4	5
1	1	24219514/ 144018644	SUMIT KUMAR/ RAMVIR SINGH 08-03-1994/ BULANDSHAHAR	**EDD, Debai**

उपर्युक्त कार्मिक का आवंटन निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन किया गया है :–

उपर्युक्त कर्मियो की पुनर्बहाली निम्न प्रतिबन्धो के अधीन की जा रही है :–

1. तकनीशियन कार्मिक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखो/सूचना मे यदि किसी स्तर/समय पर कोई कमी पायी जाती है अथवा उनके द्वारा अनुचित साधनो का प्रयोग कर चयन पाये जाने का मामला प्रकाश मे आता है तो उनका चयन/नियुक्ति निरस्तर कर दी जाएगी एवं उनके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी।
2. ऐसे तकनीशियन कार्मिक जो वर्तमान मे किसी अन्य विज्ञापन से चयनित होकर उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों तथा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 मे सेवायोजित हैं अथवा किसी अन्य शासकीय/अर्ध शासकीय कम्पनी/विभाग व उपक्रम मे सेवायोजित हैं, उनके द्वारा अपने नवीन पुनर्बहाली स्थल पर उनके वर्तमान कम्पनी/विभाग व उपक्रम से अवमुक्ति सम्बन्धी प्रपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

निगम मुख्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही :–

3. उपरोक्त तकनीशियन (विद्युत) को रिक्त पदो के विरूद्ध तैनाती हेतु निगम मुख्यालय द्वारा आवश्यकता अनुसार खण्डीय कार्यालय मे आवंटित किया जायेगा।
4. उक्त तकनीशियन (विद्युत) के चयन के समय विद्युत सेवा आयोग द्वारा प्रेषित मूल डोजियर एवं पूर्व तैनाती स्थल को प्रेषित करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाएगा।

नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाही :–

1. नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा पुनर्बहाल तकनीशियन कार्मिको को पुनर्बहाली पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु पत्र प्रेषित किया जायेगा। किसी कार्मिक को नवीन नियुक्ति पत्र (appointment letter) नही निर्गत किया जाना है क्योंकि यह पुनर्बहाली है, नई नियुक्ति नहीं है।
2. नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा कार्मिक के सेवा से निष्कासन से पूर्व के तैनाती स्थल/प्रथम तैनाती स्थल से उनका मूल डोजियर प्राप्त किया जायेगा एवं उससे कार्मिक तथा उनके प्रपत्रो का सत्यापन कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व किया जायेगा।
3. पूर्व तैनाती स्थल/प्रथम तैनाती स्थल से कार्मिक की Service Book नव पदस्थापना स्थल के प्राधिकारी द्वारा प्राप्त कर पूर्ण की जाएगी।
4. मा0 उच्चतम न्यायालय के सन्दर्भित निर्णय के अनुसार पुनर्बहाली पश्चात सेवा ज्वाइन करने वाले तकनीशियन (विद्युत) को पूर्व की मूल नियुक्ति तिथि से सभी परिणामी लाभ यथा सेवा निरंतरता Pay Fixation एवं टर्मिनल Benefits इत्यादि नव पदस्थापन स्थल के प्राधिकारी द्वारा प्रदान किये जाएंगे।
5. अभ्यर्थी के अभिलेखो के मूल प्रमाण पत्रों से मिलान/जांच कराना सुनिश्चित करेंगे।
6. कोई सूचना/गलत/असत्य/अपूर्ण पाये जाने पर तत्काल विद्युत सेवा आयोग/मुख्य अभियन्ता (हाइडिल), को सम्बन्धित निगम मुख्यालय के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

प्रबन्ध निदेशक

सं० 75 (i)/पविविनिलि/तददिनांक 11 APR 2025

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, बी–17, महानगर विस्तार, लखनऊ।
4. मुख्य अभियन्ता (हाईडिल), उ०प्र०पा०का०लि०, तृतीय–तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को उनके उक्त वर्णित कार्यालय ज्ञाप के संदर्भ में।
5. शिविर कार्यालय, प्रबन्ध निदेशक महोदया, पविविनिलि, मेरठ।
6. मुख्य अभियन्ता, पविविनिलि, बुलन्दशहर क्षेत्र, बुलन्दशहर।
7. अधीक्षण अभियन्ता, पविविनिलि, विद्युत वितरण मण्डल–तृतीय, बुलन्दशहर।
8. अधिशासी अभियन्ता, पविविनिलि, विद्युत वितरण खण्ड, डिबाई को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के सन्दर्भ मे।
9. कट फाइल/सम्बन्धित कार्मिक।

(विनोद कुमार अवस्थी)
अधीक्षण अभियन्ता(हा0)